रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 1993/कार्तिक 13, 1915
No. 657] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 1993/KARTIKA 13, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 18 (आर ई)/92-97

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1993

का.आ. 848(अ).—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का संख्यांक 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.आ. (222-अ) दिनाक 31 मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) अध्याय-8, पैराग्राफ 83, में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

"यदि सामान्य साइट धारक को आबंटित साइट्स वार्षिक डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस में शामिल न हों तो लाइसेंसिंग वर्ष की शेष अवधि में

प्रत्याशित मासिक साइट्स को ध्यान में रखते हुए उसी लाइसेंसिंग वर्ष में दूसरे डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस के लिये आवेदन पर विचार किया जायेगा ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 9/2/93-ई पी सी]

डा. पी.एल. संजीव रेड्डि, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 18(RE)/92—97

New Delhi, the 4th November, 1993

S.O. 848(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. 1 (S.O. 222-E) dated the 31st March, 1993 :—

(i) In Chapter VIII, paragraph 83, the following shall be added :—

"In case the sights allocated to a regular sight holder are not covered by the annual DTC Imprest Licence, application for another DTC Imprest Licence in the same licensing year shall be considered keeping in view the monthly sights expected in the remaining period of a licensing year."

2. This issues in public interest.

[File No. 9/2/93-EPC]

DR. P. L. SANJEEV REDDY,

Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993